

बजरंगा बनाम छीतर

203/A/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.7.23	<p>प्राथमिक पत्र वाद 31/1979 बजरंग बनाम छीतर को पुनः नम्बर पर लिखे जाने बाबत प्राथमिक पत्र बकील श्री महेश शर्मा ने पेश किया। वकील सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्राथमिक पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अग्रणी अधिभाषण में सुनवाई हेतु सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 2-8-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
20-8-23	<p>पत्रावली पर हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित है। श्रीमान नैनवां अधिकारी महादय दौरे/ अवकाश/अन्य कारणों से तैयार रहते हैं। पत्रावली दि 4-8-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
4-8-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण अपेक्षा बकील अग्रणी ने प्राथमिक पर No objection का अंकन किया। वकील प्राथमिक सुनी गयी प्राथमिक स्वीकार किया जाता है। वाद लेख्या 31/1979 बजरंग बनाम छीतर निर्णय दिनांक 19.7.23 को पुनः नम्बर पर लिखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमिल मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

